(5)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नख़तदान बारहठ, आर0ए0एस0
सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण सख्या 01/2010

सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी

बनाम

1. सविन्द्र कौर पुत्री देवेन्द्र सिंह, निवासी लुधियाना, पंजाब
2. नरेन्द्र कौर पुत्री देवेन्द्र सिंह, निवासी चक 43 एफ तहसील श्रीकरनपुर
3. इन्द्रजीत कौर पुत्री देवेन्द्र सिंह, निवासी चक 47 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
4. बलवीर सिंह
5. रणवीर सिंह
6. सुखवीर सिंह

   (4–6) पुत्रान श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी चक 47 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
7. राजेन्द्र कौर पुत्री तेजासिंह , निवासी ग्राम गिल, तहसील व जिला लुधियाना, पंजाब (मृतक)
8. कुलवीर सिंह पुत्र अमरजीत सिंह
9. दीपा सिंह पुत्र अमरजीत सिंह

   (8–9) माता राजेन्द्रकौर पत्नी अमरजीत सिह निवासी ग्राम गिल, तहसील व जिला लुधियाना (पंजाब)
10. अमरजीत कौर पुत्री तेजा सिंह निवासी ग्राम भनवोरा, जिला संगरूप, पंजाब
11. जसमेल कौर पुत्री तेजा सिंह निवासी ग्राम गिल, तहसील व जिला लुधियाना, पंजाब
12. सुरेन्द्रकौर पुत्री तेजा सिंह, निवासी बुआनी, तहसील एवं जिला लुधियाना पंजाब

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री जगरूप सिंह बराड, राजकीय अधिवक्ता,
श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक :16.08.2018

प्रस्तुत सीलिंग प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के सीलिंग अपील प्रकरण सख्या 1188/98 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2010 द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण सख्या 11/85 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि इस निर्णय में उपरोक्तानुसार प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप प्रकरण का पुनः नियमानुसार परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप शासन सचिव, राजस्व (सीलिंग) विभाग, राज. जयपुर ने अपने आदेश संख्या 7(617)राज /ग्रुप–4/76/6.01.77 द्वारा उप–जिलाधीश रायसिंहनगर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 338/72 (पुराना कानून) सरकार बनाम तेजा सिंह व जंगसिंह में पारित निर्णय सीलिंग

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

प्रकरण सख्या 431/73 (नया कानून) सरकार बनाम जंग सिंह में पारित निर्णय एवं सीलिंग प्रकरण संख्या 376/73 (नया कानून) में पारित निर्णयों को सीलिंग कानून के विपरीत एवं राज्यहित के प्रतिकूल मानते हुए सीलिंग कानून की धारा 15(2) व धारा 15(1) के अधीन राज्य सरकार से प्रकरण 11/85 में तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) द्वारा दिनांक 28.04.1984 को निर्णय पारित किया । निर्णयानुसार तेजा सिंह की 34 बीघा 5 बिस्वा व जंगसिंह की 29 बीघा 6 बिस्वा भूमि निर्धारित तिथि को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश पारित किये। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी जिसका निर्णय दिनांक 01.03.1985 को किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर तेजा सिंह व जगसिंह को जरिये नोटिस तलब कर दोनो पक्षो की बहस सुनकर अपने निर्णयानुसार दिनांक 29.12.1997 को 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदत्त किये। उक्त निर्णय के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 11.06.2010 को अपील संख्या 1188/98 राजेन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार में पैरा सख्या 08, 09 तथा 10 व 11 में 4(1)(2) की व्याख्या करते हुए सीलिंग एक्ट के प्रोवीजो को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने का निर्देश दिया है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीया राजेन्द्रकौर (मृतक) के विधिक वारिसान को तलब किया गया। साक्ष्य सम्पूर्ण करने के बाद उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राज्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता तेजा सिंह के पास निर्धारित तिथि 01.04.1966 को 86 बीघा 08 बिस्वा भूमि थी तथा परिवार में 6 ही सदस्य थे, जो 54 बीघा 03 बिस्वा भूमि धारण करने के अधिकारी है। शेष भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य है।

नये सीलिंग कानून में भी अप्रार्थी के पास 86 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी तथा परिवार में 6 से अधिक सदस्य नहीं थे। इस प्रकार अप्रार्थी के पास निर्धारित तिथि 01.01.1973 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि नये सीलिंग कानून में निर्धारित तिथि 01.01.1973 को अप्रार्थी का पुत्र देवेन्द्र सिंह वयस्क था, जिसकी उम्र 28.06.1980 की रिपोर्ट अनुसार आयु 22 वर्ष है। जिसके लिए अप्रार्थी पृथक ईकाई का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। नये सीलिंग कानून में सिंचाई क्षमता 73 प्रतिशत है जिसके अनुसार 84 बीघा 5 बिस्वा जमीन के 63 बीघा बनते है। अप्रार्थी व अप्रार्थी का पुत्र दोनो 43 बीघा 4 बिस्वा व 43 बीघा 04 बिस्वा भूमि कुल 86 बीघा 08 बिस्वा भूमि रखने के अधिकारी है। जहां तक 4(1) प्रवीजो का प्रश्न है इसमें 25.02.1958 को घोषण कर्ता के पास 55 बीघा जमीन थी और उसके पुत्र (देवेन्द्र सिंह) के नाम 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी और उसकी माता के नाम 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। उसके बाद वर्ष 1964 में अप्रार्थी के पुत्र देवेन्द्र सिंह के नाम 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की है। इस प्रकार दिनांक 01.04. 1966 को घोषणा कर्ता तेजा सिंह के पास 52 बीघा 15 बिस्वा, देवेन्द्र सिंह के नाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

15 बीघा 13 बिस्वा व सुरेन्द्र सिंह के नाम 3 बीघा 2 बिस्वा एवंम माता चन्दकौर के नाम से 12 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार घोषणाकर्ता के परिवार के पास 84 बीघा भूमि थी जिसमें अप्रार्थी घोषणा कर्ता का कथन है कि माता का देहान्त 01.07.1969 को हुआ था। 01.04.1966 को माता जीवित थी उसकी जमीन घोषणाकर्ता के साथ नहीं जोडी जा सकती। अप्रार्थी के परिवार में चार लडकिया, एक पोती, दो लडके, पति–पत्नी कुल 10 सदस्य है। जिसमें एक देवेन्द्र सिंह की पत्नी जो घोषणाकर्ता की पुत्र वधु है उसको परिवार की परिभाषा में नहीं माना गया है। इस प्रकार परिवार के 9 सदस्य है। माता की भूमि निकालने के बाद 71 बीघा 10 बिस्वा भूमि शेष रहती है। जिसमें पांच मेम्मर के बाद 4 सदस्य अतिरिक्त है। प्रत्येक सदस्य को 5 स्टैण्डर्ड ऐकड भूमि दिये जाने का धारा 30 (ई) में प्रावधान है। इसलिए चार सदस्यों की 20 एकड यानि 31 बीघा भूमि अतिरिक्त लेने के अधिकारी है। रेवन्यू बोर्ड डिपार्टमैन्ट, नोटिफिकेशन नवम्बर 26, 1963 के पेज 104 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर में राजस्थान कैनाल, गंगकैनाल, भांकरा प्रोजक्ट एवं घग्गर नाली द्वारा सिंचित तथा असिंचित नहरी क्षैत्र में प्रथम ग्रुप की 21 एकड भूमि धारण करने का पात्र है। इसलिए एक यूनिट की 46 बीघा 08 बिस्वा एवं अतिरिक्त चार सदस्यों 31 बीघा कुल 77 बीघा 08 बिस्वा भूमि रखने के अधिकारी है जो सीलिंग सीमा से कम है। यदि अदालतवाला माता की भूमि शामिल करते है तो माता को भी परिवार का मेम्मर माना जायेगा तो 84 बीघा भूमि में 10 मेम्बर माता को शामिल करके बनते है। जिसमें 5 सदस्यों को 5 एकड मानकर कुल 25 एकड भूमि यानि 39 बीघा अतिरिक्त पाने के अधिकारी है। इस प्रकार 46 बीघा 08 बीघा व 39 बीघा कुल 85 बीघा 8 बिस्वा रखने के अधिकारी है जो सीलिंग सीमा से कम है।

जहां तक पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा तीन लडकियों को शादी शुदा मानकर परिवार में शामिल नहीं किया गया था, उसमें घोषणाकर्ता का निवेदन है कि अप्रार्थी ने तहसीलदार के वर्ष 1979 परिवार के सदस्यों की तस्दीक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही थी उसमें पटवारी द्वारा पूछकर अपनी तस्दीक 1979 की स्थिति की रिपोर्ट कर दी थी जबकि उनको 01.04.1966 व 01.01.1973 की स्थिति बतानी चाहिए थी जबकि 1979 के परिवार की उम्र की स्थिति के बारे में तस्दीक दे दी और उसी तस्दीक को पूर्व पीठासीन अधिकारी ने मानकर फैसला कर दिया जबकि सीलिंग एक्ट में 01.04.1966 व 01.01.1973 की स्थिति देखी जानी है, न की 1979 की। तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.06.1980 को जो रिपोर्ट दी गई उसमें परिवार की स्थिति 01.04.1966 व 01.01.1973 अनुसार है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही 4(1),4(2) व 01.01.1973 नये एक्ट में सीलिंग सीमा से कम भूमि है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व विचाराधीन सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.डी 1994 पेज– 686 से 688
2. आर.आर.टी. 2011(1) पेज–308 से 313

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का सावधानी पूर्व अवलोकन किया गया।

जहां तक नये सीलिंग कानून में निर्धाति तिथि 01.01.1973 को अप्रार्थी के पुत्र देवेन्द्र सिंह के व्यस्क होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तहसील से प्राप्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

रिपोर्ट दिनांक 18.06.1980 में देवेन्द्रसिंह की आयु 01.04.1966 को 22 वर्ष बताई गई है। घोषणा पत्र 07.06.1973 को अप्रार्थी द्वारा गया है जिसमें देवेन्द्रसिंह की आयु 31 वर्ष अंकित की गई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि 01.01.1973 को देवेन्द्रसिंह व्यस्क था। तहसील रिपोर्ट 18.06.1980 के अनुसार अप्रार्थी के पास 01.01.1973 को 86 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी तथा सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित रिपोट क्रमांकः–2411 दिनांक 14.03.1995 के अनुसार सिंचाई के घनत्व का वर्ष 1972–73 में 73 प्रतिशत था, 86 बीघा 8 बिस्वा नहरी भूमि 73 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली 63 बीघा भूमि के बराबर होती है, जबकि 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली एक यूनिट के लिए 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण की जा सकती है। निर्धारित तिथि 01.01.1973 को अप्रार्थी का पुत्र देवेन्द्रसिंह वयस्क होने के कारण पृथक ईकाई का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होने से अप्रार्थी दो इकाईयों के लिए 86 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है, जबकि अप्रार्थी के पास 73 प्रतिशत सिंचाई घनत्ववाली 63 बीघा भूमि 01.01.73 को थी। इसलिए 01.01.73 को अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण नये कानून में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

जहां तक नये सीलिंग कानून की धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत 01.04.1966 की स्थिति का प्रश्न है। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांकः–भू.अ./80/1545 दिनांक 18.06.1980 के अनुसार अप्रार्थी के परिवार में कुल 10 सदस्य वर्णित किए गए है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 04.12.1979 पर तहसीलदार से तस्दीक प्राप्त करने पर अप्रार्थी तेजा सिंह की पुत्रियां राजेन्द्रकौर, शरणजीत कौर, जसमेल कौर को शादीशुदा बताया गया है, तथा राजेन्द्र कौर पत्नी देवेन्द्र सिंह को भी परिवार में शामिल किया गया है, जो कुटुम्ब में दी गई परिभाषा के अनुसार शादीशुदा पुत्रियां तथा पुत्र वधु शामिल नहीं की जा सकती। पूर्व में पीठासीन अधिकारी द्वारा तीन लडकियों को शादी शुदा मानकर परिवार में शामिल नहीं किया गया था इस सम्बन्ध में घोषणाकर्ता ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने तहसीलदार के वर्ष 1979 परिवार के सदस्यों की तस्दीक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही थी उसमें पटवारी द्वारा पूछकर अपनी तस्दीक 1979 की स्थिति की रिपोर्ट कर दी थी जबकि 01.04.1966 व 01.01.1973 की स्थिति बतानी चाहिए थी। उसी तस्दीक को पूर्व पीठासीन अधिकारी ने मानकर फैसला कर दिया जबकि सीलिंग एक्ट में 01.04.1966 व 01.01.1973 की स्थिति देखी जानी चाहिए थी न की 1979 की। तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.06.1980 को जो रिपोर्ट दी गई उसमें परिवार की स्थिति 01.04.1966 व 01.01.1973 अनुसार है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही धारा 4(1),4(2) व 01.01.1973 नये एक्ट के परिप्रक्ष्य में सीलिंग सीमा से कम भूमि होने से नहीं की जानी है। इस प्रकार तहसील रिपोर्ट के अनुसार 01.04.1966 को निम्न भूमि अप्रार्थी के पास थी

चक नम्बर	मु0नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
47 जीबी	मुस्तरका खाता	55.03	––
,,	38	6.05	––
,,	47	12.10	––
,,	41	12.10	खरीद 30.03.1964
कुल		86.08	

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त प्रकार से 86 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रथम ग्रुप की 01.04.1966 को अप्रार्थी के धारणाधिकार में थी।

इस प्रकार नये सीलिंग कानून की धारा 4(1) के द्वितीयक परन्तुक के अन्तर्गत पुराने कानून में निर्धारित तारीख 01.04.1966 को तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 18.06.1980 अनुसार अप्रार्थी के परिवार में चार लडकिया, एक पोती, दो लडके, पति–पत्नी कुल 10 सदस्य थे जिनकी कुल भूमि तहसील रिपोर्ट 18.06.1980 के अनुसार अप्रार्थी के पास 01.01.1973 को 86 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी तथा सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांकः– 2411 दिनांक 14.03.1995 के अनुसार सिंचाई के घनत्व का वर्ष 1972–73 में 73 प्रतिशत था, 86 बीघा 8 बिस्वा नहरी भूमि 73 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली 63 बीघा भूमि के बराबर होती है, जबकि 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली एक यूनिट के लिए 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण की जा सकती है। इसलिए 01.01.73 को अप्रार्थी के पास उसके कुटुम्ब एवं अतिरिक्त सदस्य के हिस्से में धारण योग्य भूमि जोडने के पश्चात सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण नये कानून में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय की दो प्रतियां मय मूल अभिलेख विधि प्रकोष्ठ, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को विधि परीक्षण हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं तहसीलदार विजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें

आदेश आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।